



2026:AHC-LKO:40181-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक प्रक्रीर्ण रिट याचिका संख्या० 5317/2026

रवि शंकर गुप्ता

.....याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या० - 10

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति बबीता रानी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विरोधी पक्षकारों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने हेतु परमादेश रिट की प्रार्थना की है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि याचिका में की गई प्रार्थना अत्यधिक अस्पष्ट है, फिर भी उनका आशय प्राधिकारियों को उन कतिपय कृत्यों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश जारी कराना है, जो निजी प्रत्यर्थी(गण) द्वारा किए गए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया था, किंतु कोई ध्यान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं दिया गया और प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें एवं आवेदन भी प्रस्तुत किए, किंतु आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

4. उच्चतम न्यायालय ने **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2014) 2 SCC 1** के मामले में यह प्रेक्षित किया है कि यदि आवेदन में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एक पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है और यदि वे ऐसे दायित्व से बचते हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161-ए के तहत दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए अथवा विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **वसीम हैदर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, (2021) 2 ए०डी०जे० 86: 2020 एस०सी०सी० आनलाइन अलाहाबाद 1866** के मामले में दिए गए निर्णय की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें ललिता कुमारी (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया था कि सूचनादाता के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत वैधानिक उपचार उपलब्ध है। उक्त निर्णय का पैरा-45 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"45. जाने से पहले, उपर्युक्त चर्चा एवं विश्लेषण के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष त्वरित संदर्भ और सुविधा के लिए नीचे रेखांकित किया जाता है :-

(1) पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश रिट सूचनादाता/पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 के तहत वैकल्पिक उपचार का उपयोग न करने के कारण खारिज की जा सकती है, जब तक कि व्हालपूल कॉरपोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व अन्य, (1998) 8 एस0सी0सी0 1, के मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय में परिगणित चार अपवाद सूचनादाता/पीड़ित के बचाव में न आते हों।

(2) ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, (2014) 2 एस0सी0सी0 1 के मामले में शीर्ष अदालत का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 के तहत वैकल्पिक उपचार का उपयोग किए बिना पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश रिट की पात्रता के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

(3) संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना देने के पश्चात् सूचनादाता/पीड़ित, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होने की स्थिति में पुलिस प्राधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत उनके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश रिट की मांग करने के लिए अधिकारहीन नहीं हो जाता है।

(4) प्रस्तावित अभियुक्त, जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध किए जाने की प्रथम सूचना दी गई है, पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत उनके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश रिट जारी करने की मांग करने वाली भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवश्यक पक्षकार नहीं है।

"

6. इस न्यायालय का यह मत है कि यदि याचिकाकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होने से व्यथित है, तो उसके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4)) के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223) के तहत परिवाद दाखिल करने का उपयुक्त उपचार उपलब्ध है।

7. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति बबीता रानी) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

4 जून, 2026

राज

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।